



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 866) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

24 अगस्त 2020

सं० 932—पटना जिलान्तर्गत श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, बुद्धा कॉलोनी, पटना पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०— 3094 है।

उपर्युक्त विषयक न्यास के सुचारु प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक— 175, दिनांक— 28.04.2017 द्वारा 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति गठन के पश्चात न्यास के उपाध्यक्ष डोमन राय एवं अन्य लोगों के द्वारा आरोप पत्र दिया गया। उसके उपरान्त दिनांक— 03.04.2018, 12.04.2018, 25.03.2018 को भी आवेदन पर्षद को दिया गया। उपरोक्त शिकायत पत्र के आलोक में उपाध्यक्ष एवं सचिव से स्पष्टीकरण की मांग पर्षदीय पत्र दिनांक—13.06.2018 के द्वारा की गयी थी। पर्षद को स्थानीय जनता का आवेदन मन्दिर समिति के पक्ष में भी प्राप्त हुआ। समिति के सचिव द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद एवं अन्य के आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिनांक—04.07.2018 एवं 19.11.2019 प्रेषित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि मन्दिर परिसर में शिकायतकर्ता मिठाई की दुकान चलाते हैं। यहा असमाजिक तत्वों का अड़डा रहता है एवं तरह-तरह के षडयंत्र रचते हैं। इस बीच शिकायतकर्ता डोमन राय, उपाध्यक्ष की मृत्यु हो गई। देवेन्द्र राय पुनः दिनांक—25.09.2019 को एक आवेदन देकर कार्यरत समिति पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते हैं तथा समिति को भंग करने की मांग करते हैं। सचिव द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक—19.09.2019 में उल्लेख किया है, कि पूर्व में मन्दिर झोपड़ीनुमा था, जिसका निबंधन वर्ष 1988 में इनके द्वारा कराया गया। वर्ष 1994 में इनको सचिव बनाया गया। पर्षद के द्वारा समिति के उपाध्यक्ष डॉ० आलोक से दिनांक—26.09.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसका उत्तर देते हुए उन्होंने मन्दिर की व्यवस्था में किये गये अपने प्रयासों को विस्तार पूर्वक लिखा। साथ ही शिकायतकर्ता के द्वारा गलत, झूठ एवं मनगढ़ंत बातों की चर्चा की गयी। शिकायतकर्ताओं के विपरीत दो प्रार्थना पत्र पर्षद को प्राप्त हुआ, जिसमें न्यास समिति के कार्य को संतोषजनक बताया गया तथा लगाए गये आरोप वैमनस्यता के आधार पर दाखिल किये गये। अतः उपरोक्त परिस्थिति में देवेन्द्र कुमार एवं अन्य के द्वारा दाखिल शिकायत पत्र में कोई बल न पाते हुए आदेश दिनांक— 18.08.2020 निरस्त किया गया। कार्यरत न्यास समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र दिया जा चुका है। एक उपाध्यक्ष डोमन राय की मृत्यु हो चुकी है तथा सदस्य अनिल कुमार एवं सचिव द्वारा

उल्लेख किया गया है, कि बहुत से सदस्य मन्दिर की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में कार्यरत न्यास समिति को भंग करते हुए नवीन न्यास समिति का गठन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

नयी न्यास समिति गठन के संबंध में देवेन्द्र प्रसाद के अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक-29.11.2019 का उल्लेख करते हुए 11 व्यक्तियों का नाम पर्षद को प्राप्त कराया गया। कार्यरत न्यास समिति द्वारा भी 11 नामों का प्रस्ताव 05.12.2019 को पर्षद को उपलब्ध कराया गया। पर्षद के द्वारा जिला पदाधिकारी पटना से भी नाम की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी के यहां से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त होने पर अपरसमाहर्ता पटना के दिनांक-29.11.2019 एवं 05.12.2019 की सूची भेजते हुए मंतव्य के साथ 11 सदस्यों के नामों की माँग की गयी उक्त के आलोक में दिनांक-22.06.2020 को अपरसमाहर्ता के माध्यम से पुलिस सत्यापन करते हुए 06 नामों का प्रस्ताव पर्षद को भेजा गया, सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपरसमाहर्ता द्वारा अनुमोदित/प्रस्तावित सूची पर विचार करते हुए एवं बिहार सरकार के उच्च पदों से सेवा निवृत्त एवं सेवारत सदस्यों को 11 सदस्यीय अस्थायी समिति का गठन आदेश दिनांक-18.08.2020 के आलोक में किया जाता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **“श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, बुद्धा कॉलोनी, पटना”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, बुद्धा कॉलोनी, पटना”** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री काली स्थान, सती स्थान एवं शंकर जी का स्थान, बांस घाट, बुद्धा कॉलोनी, पटना”** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

- न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् संचालन सुनिश्चित करेगी।
- न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकालकर खर्च किया जायेगा।
- न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
- मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
- दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
- मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
- न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
- न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
- न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
- न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचितता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
- अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
- सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
- जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
- इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-

1. न्यायमूर्ति श्री आर० एन० प्रसाद (अ० प्रा०)	—	पदेन अध्यक्ष
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	—	उपाध्यक्ष
3. डॉ० संजय कुमार	—	उपाध्यक्ष
4. श्री शैलेन्द्र प्रसाद (सेवानिवृत्त अभियंता)	—	सचिव
5. श्री संजय सिंह (से० नि० जिला जज)	—	संयुक्त सचिव
6. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा	—	कोषाध्यक्ष
7. श्री शशिभूषण कुमार(अधिवक्ता)	—	सदस्य
8. श्री श्याम बाबू यादव उर्फ मल्लू गोप	—	सदस्य
9. अंचलाधिकारी, पटना सदर	—	सदस्य
10. थानाध्यक्ष, बुद्धा कॉलोनी	—	सदस्य
11. श्री आनन्द कुमार शुक्ला	—	सदस्य

उपर्युक्त योजना का कार्यकाल 05 वर्षों के लिए होगा। न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से किया जाता है। समिति के 01 वर्ष का कार्यमुल्यांकन के पश्चात् संतोषजनक पाये जाने पर ही आगे विचार किया जायेगा। वर्षद के गठन के पश्चात् इसके स्थायी किए जाने पर विचार किया जायेगा।

नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलाने/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा। न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 866-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>